

# कार्यालय-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक:-सी0एम0ओ./एनसीडी/एन0टी0सी0पी0/2023.24/286

दिनांक-06.06.2023  
7

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मेरठ।
2. नोडल अधिकारी-एन0सी0डी0 सेल, कार्यालय अद्योहस्ताक्षरी।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
4. जिला बिक्री कर अधिकारी, मेरठ।
5. जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
6. उपजिला अधिकारी (सदर), मेरठ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।
8. दो बी0डी0सी0 सदस्य विकास खण्ड, मेरठ। (रोटेशन के आधार पर)
9. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ।
10. प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कॉलिज, बहरामपुर जॉनीखुर्द।
11. जिला श्रम अधिकारी, मेरठ।
12. उपनिदेशक कृषि विभाग, मेरठ।
13. जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मेरठ।
14. जिला उद्योग अधिकारी, मेरठ।
15. क्षेत्रीय समन्वयक उ0प्र0 वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, मेरठ।

विषय:- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टॉबैको कंट्रोल (एफ0सी0टी0सी0) के अनुच्छेद 5.3 एवं एन्टी तम्बाकू सैल का पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-8 के पत्र संख्या-149/पॉच-8-2004-120 रिट/2001 दिनांक 24.01.2005 दिसम्बर 2004 के क्रम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापाक वाणिज्य, उत्पादन, प्रदान और वितरण का विनिमय-2003) एवं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टॉबैको कंट्रोल (एफ0सी0टी0सी0) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। जिला अधिकारी महोदय/अध्यक्ष स्तरीय समन्वय समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा 20.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) एन्टी तम्बाकू सैल एवं एफ0सी0टी0सी0 के अनुच्छेद 5.3 का पुर्नगठन गठन किया गया है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
07/06/2023  
ANMO (FR/REH)

*(Handwritten Signature)*  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
मेरठ।  
तददिनांक.

पत्रांक:-सी0एम0ओ./एनसीडी/एन0टी0सी0पी0/2023.24

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक(स्वास्थ्य), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एनसीडी, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिला अधिकारी महोदय, मेरठ।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मेरठ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
मेरठ।

# कार्यालय-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक:-सी0एम0ओ./एनसीडी/एन0टी0सी0पी0/2023.24

दिनांक-06.06.2023

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मेरठ।
2. नोडल अधिकारी-एन0सी0डी0 सेल, कार्यालय अद्योहस्ताक्षरी।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
4. जिला बिक्री कर अधिकारी, मेरठ।
5. जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
6. उपजिला अधिकारी (सदर), मेरठ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।
8. दो बी0डी0सी0 सदस्य विकास खण्ड, मेरठ। (रोटेशन के आधार पर)
9. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ।
10. प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कॉलेज, बहरामपुर जॉनीखुर्द।
11. जिला श्रम अधिकारी, मेरठ।
12. उपनिदेशक कृषि विभाग, मेरठ।
13. जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मेरठ।
14. जिला उद्योग अधिकारी, मेरठ।
15. क्षेत्रीय समन्वयक उ0प्र0 वॉलंटरी हैल्थ एसोसिएशन, मेरठ।

विषय:- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टॉबैको कंट्रोल (एफ0सी0टी0सी0) के अनुच्छेद 5.3 एवं एन्टी तम्बाकू सैल का पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-8 के पत्र संख्या-149/पॉच-8-2004-120 रिट/2001 दिनांक 24.01.2005 दिसम्बर 2004 के क्रम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापक वाणिज्य, उत्पादन, प्रदान और वितरण का विनियम-2003) एवं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टॉबैको कंट्रोल (एफ0सी0टी0सी0) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। जिला अधिकारी महोदय/अध्यक्ष स्तरीय समन्वय समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा 20.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) एन्टी तम्बाकू सैल एवं एफ0सी0टी0सी0 के अनुच्छेद 5.3 का पुर्नगठन गठन किया गया है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

मेरठ।

तददिनांक.

पत्रांक:-सी0एम0ओ./एनसीडी/एन0टी0सी0पी0/2023.24/287

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक(स्वास्थ्य), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एनसीडी, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिला अधिकारी महोदय, मेरठ।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मेरठ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

मेरठ।

मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष/जिलाधिकारी, जनपद स्तरीय समन्वय समिति, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मेरठ।

महोदय,

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-8 के पत्र संख्या-149/पॉच-8-2004-120 रिट/2001 दिनांक 24.01.2005 दिसम्बर 2004 के क्रम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापक वाणिज्य, उत्पादन, प्रदान और वितरण का विनियम-2003) के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है (पताका-क)। जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्ताव को दिनांक 05.03.2018 को एन्टी टोबैको सेल का गठन किया जा चुका है (पताका-ख)। जनपद स्तरीय एन्टी तम्बाकू सेल का पुर्नगठन गाइडलाइन के अनुसार निम्नवत प्रस्तावित किया जाना है। (पताका-ग)

क्र0म0	अधिकारी का नाम	सचल दल में स्थान
1	जिलाधिकारी, मेरठ।	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।	सदस्य/सचिव
3	वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।	सदस्य
5	जिला बिक्री कर अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
6	जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
7	उपजिला अधिकारी (सदर), मेरठ।	सदस्य
8	खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
9	दो बी0डी0सी0 सदस्य विकास खण्ड, मेरठ। (रोटेशन के आधार पर)	सदस्य
10	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
11	प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कॉलिज, बहरामपुर जॉनीखुर्द।	सदस्य
12	जिला श्रम अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
13	उपनिदेशक कृषि विभाग, मेरठ।	सदस्य
14	क्षेत्रीय समन्वयक उ0प्र0 वॉलंटरी हैल्थ एसोसिएशन, मेरठ।	सदस्य
15	जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
16	जिला उद्योग अधिकारी, मेरठ।	सदस्य

महोदय से अनुरोध है कि सहमति की दशा में उपरोक्त प्रस्तावित पुर्नगठन की स्वीकृति प्रदान करना चाहे।

मुख्य कार्यवाही जिलाधिकारी मेरठ  
पेट/1/1 प्रायः हमें दिनांक 20/5  
इस कार्यवाही पेट/1/1  
पत्रों का प्रमाण 20/5

DR 17/5/23  
पटल सहायक  
एन0एच0एम0 मेरठ।

मुख्य विकास अधिकारी,  
मेरठ।

DR 17/5/23  
नोडल अधिकारी,  
एन0टी0सी0पी0, मेरठ।

DR 17/5/23  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
मेरठ।

DR 20/5/23  
जिला अधिकारी,  
मेरठ।

DR 20/5/23  
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट  
मेरठ।

मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष/जिलाधिकारी, जनपद स्तरीय समन्वय समिति, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मेरठ।

महोदय,

अवगत कराना है कि निदेशक स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ, के पत्र सं:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ 2021-22/9445 लखनऊ दिनांक 17.02.2022 (पताका-क) द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टॉबैको कंट्रोल (एफ०सी०टी०सी०) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2021 में जनपद स्तर पर प्राधिकृत समिति एफ०सी०टी०सी० का गठन किया चुका है(पताका-ख)।

उपरोक्त पत्रों में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में एफ०सी०टी०सी० के अनुच्छेद 5.3 का नवीनीकरण जनपद स्तरीय समन्वय समिति (फाईल नं-01/2023.24) के अनुसार पुर्नगठन निम्नवत प्रस्तावित किया जाना है-

क्र०म०	अधिकारी का नाम	सचल दल में स्थान
1	जिलाधिकारी, मेरठ।	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।	सदस्य/सचिव
3	वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।	सदस्य
5	जिला बिक्री कर अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
6	जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
7	उपजिला अधिकारी (सदर), मेरठ।	सदस्य
8	खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
9	दो बी०डी०सी० सदस्य विकास खण्ड, मेरठ। (रोटेशन के आधार पर)	सदस्य
10	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
11	प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कॉलिज, बहरामपुर जॉनीखुर्द।	सदस्य
12	जिला श्रम अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
13	उपनिदेशक कृषि विभाग, मेरठ।	सदस्य
14	क्षेत्रीय समन्वयक उ०प्र० वॉलंटरी हैल्थ एसोसिएशन, मेरठ।	सदस्य
15	जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
16	जिला उद्योग अधिकारी, मेरठ।	सदस्य

अतः महोदय से अनुरोध है कि पत्रावली में दायीं ओर संलग्न पताकाओं/पत्रों का अवलोकन करते हुए उपरोक्त प्राधिकृत समिति ऑन एफ०सी०टी०सी० के गठन का अनुमोदित करते हुए सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

पटेल सहायक  
एन०एच०एम० मेरठ।

नोडल अधिकारी,  
एन०टी०सी०पी०, मेरठ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
मेरठ।

मुख्य विकास अधिकारी,  
मेरठ।

जिला अधिकारी,  
मेरठ।  
जिलाधिकारी  
मेरठ।

कम कागज जिलाधिकारी मेरठ  
पत्रावली में का दिनांक 20/5  
20/5